न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र. केंप भोपाल

(24)

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/0357

1. तुलाराम कुशवाहा आयु लगभग 50 वर्ष आ. श्री नन्हे भैया कुशवाहा
2. सीताराम कुशवाहा आयु लगभग 40 वर्ष आ. श्री नन्हे भैया
3. कमलेश कुशवाहा आयु लगभग 30 वर्ष आ. श्री नन्हे भैया
4. साहबसिंह कुशवाहा आयु लगभग 25 वर्ष आ. श्री नन्हे भैया

सभी निवासी ग्राम ढिकवाड़ा तह. सोहागपुर जिला होशंगाबाद...पुनरीक्षकर्तागण

बनाम

1. हेमराज कुशवाहा आयु लगभग 45 वर्ष आत्मज प्रहलाद कुशवाहा
2. गुलिया कुशवाहा आयु लगभग 60 वर्ष पुत्री प्रहलाद कुशवाहा
3. हल्की कुशवाहा आयु लगभग 45 वर्ष पुत्री प्रहलाद कुशवाहा
4. सुकिया आयु लगभग 60 वर्ष पत्नि रतिराम कुशवाहा
5. रेवकसिंह आयु लगभग 35 वर्ष पुत्र रतिराम कुशवाहा
6. प्रीतम सिंह आयु लगभग 18 वर्ष पुत्र रतिराम कुशवाहा
7. लच्छोबाई आयु लगभग 30 वर्ष पुत्री रतिराम कुशवाहा
8. शीलाबाई आयु लगभग 25 वर्ष पुत्री रतिराम कुशवाहा
9. ममताबाई आयु लगभग 30 वर्ष पुत्री रतिराम कुशवाहा
10. प्रभाबाई आयु लगभग 20 वर्ष पुत्री रतिराम कुशवाहा

सभी निवासी ग्राम ढिकवाड़ा तह. सोहागपुर जिला होशंगाबाद...उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता

कार्यालय राजस्व निरीक्षक शोभापुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 6अ-12 वर्ष 2016-17 के माध्यम से किए गए सीमांकन दिनांक 23.11.2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/18/0357 [तुलाराम / देवराज]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0पी0यादव द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक शोभापुर तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दि. 23-11-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् उभयपक्षों को सूचना दी जाकर पंचनामा फील्डबुक नक्शा आदि तैयार कर स्थायी सीमाचिन्हों से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है । जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है, अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	